

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
175/2012	88,89,91,53,183,188, RTA	अमीनपुरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मदनलाल	बनाम	गीताबाई वगै०	
वकील :-	आदेश पत्रक	वकील :-	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
11-10-12	अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,91,53,183,188, RTA, विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया. रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.11.2012 को पेश हो।	
5-11-12	पत्रावली पेश हुई वकील करी उमरा जाईवारी ने 1, 2, 3 स्कंध उमरा उमरावली गणत पेश किए जो शांति किया गया जाईवारी ने. 4, 7, 10, 19, 20 वाक्या उमरा के न्यायालय में उमरा करी से उमरा किया एक नया कार्यवाही की जावे जो पत्रावली जारी रखी जाईवारी ने. 5, 6, 8, 9, 11 ग 18 की दिनांक 18-12-12 को पेश हो।	निकीती/गणत निकीती/गणत
18-12-12	पत्रावली पेश हुई वकील करी उमरा जाईवारी ने. 5, 6, 8, 9, 11 ग 18 की रखी रहे तलबक पेश करे पत्रावली जाईवारी रखी दिनांक 5-2-13 को पेश हो।	वकील/गणत
5-2-13	आज पीलापीन अधिकारी के दोरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...12-3-13...को पेश हो। श्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा बारां	
12-3-13	आज पीलापीन अधिकारी के दोरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक...22-4-13...को पेश हो। श्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा बारां	

30/5/22

पत्रावली पेश हुई। वकूलाएँ फरीकें, उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रा.पत्र 07 दिए। पेश किया जिसका जवाब वकील प्राणी द्वारा पेश नहीं किया गया है। समय — नहीं है। आधारित में अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते जवाब प्रा.पत्र पत्रावली दिनांक 13/7/22 को पेश हो।

13/7/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी उपस्थित। तीन वक्त रुक-रुक कर आज्ञा लगाई गई। फिर भी कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला सुनार हेमर दारिजल दफ्तर हो।

उपखण्ड अफिली
छबड़ा (बारा)